शहद नाहक जीएम खाद्य बन गया

युरोप के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते एक विचित्र फैसले में कहा है कि यदि शहद में जिनेटिक रूप से परिवर्तित फसलों के पराग कण पाए जाते हैं, तो उस शहद को जिनेटिक रूप से परिवर्तित खाद्य की श्रेणी में रखा जाएगा, चाहे यह मिलावट दुर्घटनावश ही क्यों न हुई हो। इसका मतलब होगा कि ऐसे शहद की बिक्री के लिए अलग से मंज़ूरी लेनी होगी और यदि इसमें जीएम पराग कणों की मिलावट है तो इसके लेबल पर लिखना होगा कि यह जिनेटिक रूप से परिवर्तित शहद है।

मामला यह था कि बावेरिया के मधुमक्खी पालकों ने पाया था कि उनके द्वारा उत्पादित शहद में पास के खेतों में उगाई जा रही जीएम मक्का की फसलों से पराग कणों की मिलावट हो रही है। उन्होंने बावेरिया की अदालत में मुकदमा दायर किया था कि उन्हें इसके लिए मुआवज़ा मिले या उन फसलों पर रोक लगाई जाए। अंततः यह मुकदमा युरोप के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा जहां से उक्त विचित्र फैसला आया है।

बावेरिया के शहद में मॉन्सेंटो द्वारा तैयार की गई मक्का की जीएम फसल एमओएन 810 के पराग कण पाए गए हैं। न्यायालय का तर्क था कि पराग कण शहद के सामान्य घटक हैं। यदि यह सामान्य घटक जिनेटिक रूप से परिवर्तित है तो वह शहद भी जिनेटिक रूप से परिवर्तित माना जाएगा। अतः नए सिरे से प्रमाणन की ज़रूरत होगी। युरोप में इसकी प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि शायद बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही इसे संभाल सकती हैं, यह मधुमक्खी पालकों के बस की बात नहीं है।

अलबत्ता, कुछ लोगों का कहना है कि इस फैसले का एक मतलब यह भी है कि बावेरिया या अन्य ऐसे ही स्थानों के मधुमक्खी पालक इस मिलावट या संदूषण के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर मुआवज़े की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। वैसे, यह भी कहना मुश्किल है कि वह कार्रवाई कितनी आसान होगी।

कुल मिलाकर बात यह निकलती है कि ये मधुमक्खी पालक बगैर किसी गुनाह के नुकसान उठाएंगे। ***(स्रोत फीचर्स)***